पीएम-प्रणाम

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की पीएम-प्रणाम पहल के विषय में जानकारी प्रदान की।

- पीएम-प्रणाम **का अर्थ धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम (PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) है।**
  - पीएम-प्रणाम की घोषणा पहली बार केंद्र सरकार द्वारा **2023-24 के बजट** में की गई थी।
- **उद्देश्य: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** के प्रयासों को बढ़ावा देना:
  - **उर्वरकों का** सतत् और **संतुलित उपयोग।**
  - **वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने हेतु** प्रोत्साहित करना।
  - **जैविक और प्राकृतिक कृषि** पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- **वित्तीय तंत्र: जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पिछले तीन वर्षों के औसत की तुलना में अपने रासायनिक उर्वरक उपयोग को कम करेंगे, उन्हें उर्वरक सब्सिडी से 50% बचत प्राप्त होगी।**
  - इस अनुदान का उपयोग किसानों सहित स्थानीय आबादी के लाभ के लिये किया जा सकता है।
- **सम्मिलित उर्वरक के प्रकार: यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट (Diammonium Phosphate- DAP), नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम(NPK) और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)।**
- **क्षेत्र:** भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
- **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA):**
  - इसकी अध्यक्षता **प्रधानमंत्री** करते हैं और यह **सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश हेतु प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है।**
  - यह एक एकीकृत आर्थिक नीति ढाँचा विकसित करने हेतु **आर्थिक रुझानों की निरंतर समीक्षा करता है** तथा विदेशी निवेश सहित आर्थिक क्षेत्र में नीतियों व गतिविधियों की देखरेख करता है, जिसके लिये उच्च स्तरीय निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

और पढ़ें: [पीएम-प्रणाम योजना और FRP में वृद्धि]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pm-pranam-2